15

Britain.

* ब्रिटिश संविधान की तरह वहाँ की सांविधानिक प्रथाएँ भी अलिखित नियमों का समुच्चय है। अर्थात इन्हें किसी विशेष भाषा या शब्दावली में ढालकर कहीं भी विधिवत पारित नहीं किया गया है। इनकी प्रमाणिकता का आधार इनके साथ जुड़ी हुई मान्यता है।
* जब लार्ड सभा उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तब उसमें लार्ड चांसलर के अलावा केवल विधि लार्ड उपस्थित होते हैं, अन्य सब लार्ड अनुपस्थित होते हैं।
* ब्रिटेन में सांविधानिक कानून और साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रियाओं में कोई अन्तर नहीं है।
* ब्रिटेन के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए एक ही सरकार की व्यवस्था की गयी है। अतः वहाँ एकात्मक शासन-प्रणाली प्रचलित है। स्थानीय शासन को कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। वह केवल संसदीय कानून को लागू करने के लिए आवश्यक उपनियम बना सकता है।
* परन्तु इस एकात्मक प्रणाली के अन्तर्गत भी प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की विस्तृत व्यवस्था की गयी है।
* ब्रिटिश संसद की कानूनी सत्ता सर्वोच्च है। सत्रहवीं शताब्दी के विधिशास्त्रवेत्ता एडवर्ड कोक के अनुसार ब्रिटिश संसद ऐसा कोई भी कार्य कर सकती है जो प्राकृतिक दृष्टि से असंभव न हो।
* सिद्धान्ततः ब्रिटिश संसद को असीम शक्ति प्राप्त है परन्तु व्यवहार के धरातल पर उसे कुछ मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है।
* यह सच है कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली

Scanned By Scanner Go

के अन्तर्गत शक्ति पार्थक्य की वैसी गुंजाइश नहीं है जैसी की संयुक्त राज्य अमेरिका में रखी गयी है।

- इसमें कोई सन्देह नहीं कि सिद्धान्ततः ब्रिटिश संसद की सत्ता सर्वोच्च है। परन्तु संसद का नेतृत्व मंत्रिमण्डल के हाथों में रहता है। इसलिए व्यवहार के धरातल पर सम्पूर्ण संसदीय कार्य को आरंभ करने का अधिकार मंत्रि-मण्डल के हाथों में आ गया है।
- संसद अपने-आप कोई कानून नहीं बनाती बल्कि मंत्रिमण्डल ही संसद के अनुमोदन से सारे कानून बनाता है।
- कोई भी मंत्रिमण्डल सत्ता में तभी तक रह सकता है जब तक उसे संसद का पूर्ण विश्वास प्राप्त हो। इसलिए जब भी मंत्रिमण्डल सत्तारूढ़ होता है, वही सारे सार्वजनिक निर्णय करता है। यही कारण है कि संसदीय प्रणाली व्यवहारतः मंत्रिमंडलीय प्रणाली का रूप धारण कर चुकी है।

Pol. Sc (Hons)
Part - I
Paper - II

Rama Kant Pandey
S.R.A.P College
Bara Chakiya
(B.R.A.B.U) (Muz.)

Scanned By Scanner Go